न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **इन्द्रजीत सिंह** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 14/2016 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 27.01.2016

रतन कुंवर पत्नि स्वर्गीय गजेन्द्रसिंह निवासी डगला का खेड़ा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–निगराकार

बनाम

1–महेन्द्रसिंह भाटी पिता रामसिंह भाटी, निवासी डगला का खेड़ा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–ग्राम पंचायत धनेतकलां जरिये सरपंच ग्राम पंचायत धनेतकलां, पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3–पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ जरिये विकास अधिकारी, पंचायत समिति चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–विपक्षीगण

निगरानी बनाराजगी विरूद्ध ग्राम पंचायत धनेतकलां द्वारा जारी पट्टा संख्या 25 एवं मिसल संख्या 2004–05/30 आबादी भूमि का विकय विलेख दिनांक 06.12.2004 को निरस्त कराने हेतु

उपस्थिति : 1–श्री भारत भूषण प्रधान, अधिवक्ता, निगराकार
2–श्री अनिल बोहरा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3

निर्णय

दिनांक 19.12.2017

निगराकार द्वारा यह निगरानी इस आशय की प्रस्तुत की है ग्राम पंचायत धनेतकलां द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया आबादी भूमि का विकय विलेख पट्टा दिनांक 06.12.2004 न्याय नियम एवं वाकियाती तथ्यों तथा अनियमिततापूर्ण कार्यवाही कर विधि विरूद्ध रूप से जारी किया गया है जबकि उक्त भूखण्ड प्रारम्भ से ही निगराकार के कब्जे में चला आ रहा है जिससे उक्त विकय विलेख निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में गैर निगराकार संख्या 2 ग्राम पंचायत धनेतकलां द्वारा जारी किया गया पट्टा विलेख दिनांक 06.12.2004 निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली तलब की गई। विपक्षी संख्या 3 पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल बोहरा ने अधिकार पत्र पेश किया। विपक्षी संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए। ग्राम पंचायत से तलबीदा रेकार्ड प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुन, प्रकरण गुणावगुण के आधार पर देखा गया।

अधिवक्ता निगराकार ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गैर निगराकार ग्राम पंचायत धनेतकलां के सरपंच ने ग्राम पंचायत के उपक्षेत्र डगला का खेड़ा में स्थित एक भूखण्ड जिसकी मिसल संख्या 2004-05/30 जिसका नाप 35 बाई 47 है जो कि प्रारम्भ से ही निगराकार के कब्जे में चला आ रहा है तथा निगराकार का उस भूखण्ड पर पुराना निर्माण होकर निवासरत है एवं कब्जा है परन्तु गैर निगराकार संख्या 1 राजनैतिक प्रभाव वाला व्यक्ति होकर ग्राम पंचायत को अपने प्रभाव में लेकर ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर उक्त भूखण्ड को अपने नाम बापी करवा लिया जो कि निरस्त योग्य है। पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के प्रावधानों की कोई पालना नहीं की गई है नियम 146 के तहत कोई निरीक्षण नहीं किया गया है, नियम 148 के तहत एक माह का कोई आपत्ति नोटिस जारी नहीं किया गया है निगराकार ने काफी मेहनत करके उक्त भूखण्ड को निवास लायक मकान बना कर अपने परिवार सहित कई वर्षो से निवास करती चली आ रही है। अतः गैर निगराकार संख्या 1 के नाम पर जो विधि-विपरीत पट्टा जारी किया गया है वह निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर तथाकथित पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3 ने कथन किया कि गैर निगराकार को ग्राम पंचायत ने विधिवत पट्टा जारी किया है। गैर निगराकार संख्या 1 ने दिनांक 31.12.2003 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई है। विधिवत कोरम में पत्रावली पेश की गई। तीन सदस्यी कमेटी से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। नियमानुसार एक माह की आपत्ति हेतु सूचना पत्र जारी कर ग्राम पंचायत के द्वारा सभी विधिवत प्रकिया अपनाकर नियमानुसार शुल्क 200/- रूपये फीस एवं 351/- रूपये विकास शुल्क जमा कर पट्टा जारी किया गया जो विधिवत् जारी किया गया है। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य नहीं होने से निरस्त फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों एवं ग्राम पंचायत धनेतकलां से प्राप्त रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। जिसके अनुसार ग्राम पंचायत के आज्ञाओं की सूची दिनांक 27.10.2004 के द्वारा मौका निरीक्षण हेतु श्री मोहनलाल रेगर, श्रीमति रतनीबाई, श्री देवीलाल सालवी एवं श्री ओमप्रकाश चार पंचो की कमेटी गठित की गई है जबकि तैयार किये गये मौका निरीक्षण पत्र पर जिन चार पंचो को रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु

अधिकृत किया गया है उनमे से केवल दो पंचों श्री देवीलाल एवं श्री मोहनलाल रेगर के ही हस्ताक्षर है जबकि अन्य दो अधिकृत पंचो के निरीक्षण रिपोर्ट/निरीक्षण पत्र पर हस्ताक्षर नहीं है तथा यह निरीक्षण रिपोर्ट कब तैयार की गई है उस पर कोई दिनांक भी अंकित नहीं है।

ग्राम पंचायत से प्राप्त पत्रावली/रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व पूर्ण जांच नहीं कर मात्र कागजी खानापूर्ति की है। ग्राम पंचायत द्वारा आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु एक माह का सूचना पत्र जारी करने का प्रस्ताव आज्ञाओं की सूची अनुसार दिनांक 09.11.2004 को पारित किया गया है जबकि मिसल में उपलब्ध आपत्तियां आमंत्रित करने का सूचना-पत्र को देखने से स्पष्ट है कि वह दिनांक 27.10.2004 को प्रस्ताव पारित होने से पूर्व ही जारी किया जा चुका है तथा उक्त सूचना पत्र दिनांक 27.10.2004 को ग्राम के सार्वजनिक स्थान पर चस्पा कराने संबंधी कोई साक्ष्य/सबूत पत्रावली में उपलब्ध नहीं है तथा न ही उक्त सूचना पत्र पर किसी व्यक्ति की उपस्थिति में चस्पा कराने अथवा चस्पा करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर है। ग्राम पंचायत द्वारा पुश्तैनी पट्टा जारी करने से पूर्व पारिवारिक सजरे अनुसार परिवार के सभी सदस्यों की सहमति भी प्राप्त नहीं की गई है जबकि पुश्तैनी पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत को सभी परिवार के सदस्यों से सहमति प्राप्त करनी चाहिये थी अथवा पुश्तैनी पट्टा जारी करने से पूर्व उन्हें सुनवाई हेतु अवसर प्रदान किया जाना चाहिये था जो कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने नहीं किया है तथा न ही ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत ग्राम पंचायत धनेतकलां की पत्रावली में मौजूद है। उक्त तथ्यों के आधार पर गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 06.12.2004 को पट्टा जारी करने की कार्यवाही उचित प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत धनेतकलां द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा कमांक 25 दिनांक 06.12.2004 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत धनेतकलां को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान एवं अन्य वारिसान/पारिवारिक सदस्यों को सुना जाकर कब्जे तथा अन्य तथ्यों के संबंध में पूर्ण जांच कर पुनः नए सिरे से पट्टा जारी करने की कार्यवाही करे।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(इन्द्रजीत सिंह)